झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान–सभा

(झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता)
अधिनियम, 2001

सत्यमेव जयते

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 4/2001]

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान–सभा

(झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता)
अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 4/2001]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता

अधिनियम, 2001

[सभा द्वारा पारित]

राज्यपाल के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अवधारित करने हेतु उपबन्ध निश्चित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(I) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा ।

(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(III) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएं—

(I) इस अधिनियम में मंत्री से अभिप्रेत है झारखण्ड मंत्रिमंडल का सदस्य, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो और इसमें राज्य मंत्री शामिल हैं ।

3. मंत्रियों का वेतन—

प्रत्येक मंत्री को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपए की दर से वेतन दिया जायेगा । इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

4. मंत्रियों का आवास—

(I) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करें, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाय, बिना किराए के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा ।

(II) ऐसे आवास के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबन्धित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विविध शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है ।

5. मंत्रियों को मोटरगाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना—

(I) राज्य सरकार समय-समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परंतु, यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गयी मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी को खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जायेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके ।

(II) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टॉफ कार के उपयोग करने का हकदार हो ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "स्टाफ-कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोगार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन ।

6. मंत्रियों का दैनिक भत्ता—

कोई भी मंत्री, जब वह, लोक कारबार हेतु यात्रा पर हो, तो राज्य के अंदर दैनिक भत्ता 350/- (तीन सौ पचास) रुपया एवं राज्य के बाहर 500/- (पांच सौ) रुपया अनुमान्य होगा ।

7. क्षेत्रीय भत्ता—

कोई भी मंत्री क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह 4000/- (चार हजार) रुपये पाने का हकदार होगा ।

8. सत्कार भत्ता—

कोई भी मंत्री निम्न प्रकार आतिथ्य भत्ता पाने का हकदार होगा :

(I) मुख्यमंत्री 1500/-(एक हजार पांच सौ) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह, राज्य मंत्री 500/- (पांच सौ) रुपये प्रतिमाह एवं उप-मंत्री 300/- (तीन सौ) रुपया प्रतिमाह ।

9. चिकित्सीय उपचार—

कोई भी मंत्री और उसके परिवार के सदस्य ऐसी सुविधाएं और मुफ्त चिकित्सा परिचर्या और दवा की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास-सुविधा के संबंध में रियायतों का हकदार होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे ।

10. नियम बनाने की शक्ति—

(I) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम में प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी ।

(II) विशिष्टत: और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित को अवधारित करने हेतु नियम बना सकेगी ।

(क) मंत्रियों को मोटरगाड़ी खरीदने और यात्रा भत्ता देने के लिए अग्रिम ।

(ख) मंत्रियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता ।

(ग) क्षेत्रीय भत्ता ।

(घ) सत्कार भत्ता ।

(ङ) अन्य भत्ता ।

(III) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान-सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किये गये पूर्ववर्ती कुछ भी, को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

यह विधेयक [झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता विधेयक, 2001] दिनांक 31 मार्च, 2001 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 31 मार्च, 2001 के सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूं।

रांची :
दिनांक 20 अप्रैल, 2001

प्रभात कुमार,
राज्यपाल, झारखण्ड।

सच्ची प्रतिलिपि

अगापित टोप्पो,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झा०रा०मु०रांची—(एल०ए०) 18—81—25-7-2001—शनि मुण्डा।